न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 65/2023

1. मनोहरलाल कुमावत पुत्र ताराचन्द कुमावत निवासी कोलाली तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू(राज.)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय बिसाऊ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. महावीर पुत्र ताराचन्द जाति कुमावत निवासी कोलाली तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता वादीः– श्री महेन्द्र कुमार नेमीवाल एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थना पत्र दायरी दिनांकः–22.11.2023

निर्णय दिनांक :–06.06.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ग्राम कोलाली पटवार हल्का मेहरादासी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं मे भूमि हाल खन्न. 119, 180, 189, 192, 193, 194, 201, 289, 205, 206, 207,208,212 कुल रकबा 11.7400 हैक्टर स्थित है। जिसके खाता न 25 नया प पुराना 26 है जिसने आवेदक 1/12 हिस्सा व अनावेदक न. २ का 1/12 हक व हिस्सा है। उसी प्रकार से कब्जा काश्त है । उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियो कर्मचारियों की गलती से आवेदक का नाम मनीराम पुत्र तारू दर्ज हो गया । जबकि आवेदक का सही नाम मनोहरलात कुमावत पुत्र ताराचंद कुमावत है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित व न्यायोपित होगा । आवेदक का सही नाम होने के प्रमाण के सम्बध में अन्य दस्तावेजात पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैक छाता, आधार कार्ड पोटर मतदाता पहयान पत्र आदि समस्त दस्तावेवात मे आवेदक का नाम मनोहरलाल कुमावत पुत्र ताराचंद कुमावत दर्ज है जो सही व सत्य है। इसलिए प्रकार ते अनावेदक न. २ जो आवेदक का भाई है जिसने पिता के नाम भी तारू दर्ज है जबकी पिता का सही नाम ताराचंद कुमावत है। इसलिए यह संशोधन करवाना आवश्यक हुआ है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भुषि हाल ख.न० 119, 180, 189, 192, 193, 194, 201,289,205,206 ग्राम कोलाली पटवार हल्का मेहरादासी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं मे आवेदक का नाम मनीराम पुत्र तारू के स्थान पर मनोहरलाल कुमावत पुत्र ताराचंद कुमावत व अनावेदक न. 2 के पिता तारू के स्थान ताराचंद कुमावत दर्ज किए जाने का व इसी पुकार ते राजस्व रिकार्ड दुरुस्त के जाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट अनुसार कोलाली की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता में 25 में कुल 12 रकबा 11.74 की खातेदारी मनीराम पुत्र तारू हिस्सा 1/12 जाति–कुम्हार के नाम दर्ज रिकोर्ड है। गत जमाबन्दी सवंत 2034 से 2037

व 2038–2041) व मिसल बन्दोबस्त की जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम तारूराम पुत्र लादूराम जाति–कुम्हार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो जैसे चाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, स्थायी लेखा मेरगा कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पटा आदि सभी में गभी का नाम मनोहरलाल कुमावत पुत्र ताराचन्द्र कुमावत दर्ज है। नियमानुसार प्रार्थी का नाम मनीराम पुत्र तारू के बजाया मनोहरलाल पुत्र ताराचन्द शुद्व किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थीगण का वास्तविक नाम मनोहरलाल कुमावत पुत्र ताराचंद कुमावत व महावीर पुत्र ताराचन्द ,है। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों एवं तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम कोलाली के खाता संख्या 25 व 26 में दर्ज मनीराम पुत्र तारू एवं महावीर पुत्र तारू के स्थान पर क्रमशः मनोहरलाल कुमावत पुत्र ताराचंद कुमावत व महावीर पुत्र ताराचन्द शुद्व कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार पालना तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06..2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा